ALIMANIA STATES OF STATES

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र० प्रकरण क्रमांकः— 168 / 2014 नि०फो० संस्थापित दिनांक 30.07.2014

मैसर्स विगासा इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. 16/32 द्वितीय मंजिल ओल्ड रोड राजेन्द्र नगर न्यू दिल्ली 110060 द्वारा—अधिकृत अधिकारी श्री पुरूषोत्तमदेव पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा प्रबंधक

-----आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

दि सुप्रिम इण्डस्ट्रीज लि. (पी.पी.डी.) एन—1 से एन—12 घिरोगी इण्डस्ट्रियल एरिया मालनपुर, तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.। द्वारा— जगबन्धुदास कामर्शियल मैनेजर सुप्रिम इण्डस्ट्रीज लि. मालनपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

─── प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानीकर्ता द्वारा श्री राकेश गुप्ता अधिवक्ता। गैरनिगरानीकर्ता द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

/ /आ दे श/ / / /आज दिनांक 11—12—2015 को पारित किया गया / /

01. निगरानीकर्ता / आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 397 जा.फौ. का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें निगरानीकर्ता ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी श्री एस.के.तिवारी के द्वारा प्र0क0 481 / 2014 ई.फौ. दि सुप्रीम इण्डस्ट्रीज वि0 मैसर्स बिगासा इण्डस्ट्रीज में पारित आदेश दिनांक

बनाए प्रोसेस जारी करने के आदेश जारी किए गए है।

02. वर्तमान निगरानी के संबंध में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि अनावेदक / प्रतिनिगरानीकर्ता कम्पनी द्वारा आवेदक / निगरानीकर्ता कम्पनी के विरूद्ध न्यायालय जे.एम.एफ. सी गोहद श्री एस.के.तिवारी के न्यायालय में परिवादपत्र अंतर्गत धारा 138 पराकम्य लिखित अधिनियम का पेश किया कि आवेदक कम्पनी के द्वारा 8 अलग अलग चैक अलग अलग दिनांक व भिन्न भिन्न राशियों के अनावेदक कम्पनी को दिए गए जिनके भुगतान हेतु उन्हें बैंक में जमा कराया गया, किन्तु उक्त सभी चेक दिनांक 20.12.2013 को निधि अपर्याप्त होने के कारण बैंक द्वारा बापिस भेजे गए है। जिस पर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06. 2014 को आवेदक संस्थान के विरूद्ध संज्ञान लेकर प्रोसेस जारी करने का आदेश दिया गया है। जिससे व्यथित होकर निगरानीकर्ता के द्वारा वर्तमान निगरानी पेश की गई है।

निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत परिवादपत्र में अभियुक्त के रूप में किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार नहीं बनाया गया है, केवल कम्पनी को पक्षकार बनाया गया है, उसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आवेदक कम्पनी के विरुद्ध विवादित आदेश पारित कर प्रोसेस जारी किया गया है। जबकि आपराधिक विधि का सिद्धांत है कि कोई आपराधिक प्रकरण किसी व्यक्ति के विरूद्ध व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश अंतरवर्ती न होकर अपने आप में अंतिम स्वरूप का आदेश है जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अभियोगपत्र सक्षम व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस पर विचार न करने में अधीनस्थ न्यायालय में गंभीर भूल की है। चेक अनादरण के प्रकरण में चेक किस स्थान पर अनादरित हुआ उसका उल्लेख करना आवश्यक होता है, चेक लेने अथवा देने से कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि धारा 138 निगोसियेबल इन्सूमेंट एक्ट का अपराध वहाँ होता है जहाँ चेक संबंधित बैंक में जमा किया गया है अथवा जिस बैंक में अनादरित होकर बापस किया गया है, जिसका कि अनावेदक द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपराध दर्ज कर आवेदक के विरूद्ध प्रोसेस जारी करने का आदेश दिया गया है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.06.2014 को निरस्त करते हुए आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया है।

04. प्रतिनिगरानीकर्ता के द्वारा अधीनस्थ न्ययालय के द्वारा पारित आदेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें हस्तक्षेप करने अथवा फेर–बदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

05. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदन के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ न्यायालयं का आदेश दिनांक 11.06.2014 वैधता, शुद्धता एवं औचित्यतता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य न होने से अपास्त किए जाने योग्य हैं?

🕢 निष्कर्ष के आधार / /

06. निगरानीकर्ता / आरोपी के द्वारा वर्तमान निगरानी आवेदनपत्र विचारण न्यायालय के द्वारा धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत लिये गए संज्ञान से व्यथित होकर पेश किया गया है, जिसमें कि उसके विरुद्ध लिया गया संज्ञान को उसके द्वारा उचित न होना बताते हुए कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया है। निश्चित तौर से संज्ञान लेने का आदेष अंतरवर्तीय आदेश नहीं होता है, बिल्क इस प्रकार का आदेश अंतिम आदेश के रूप में होता है जिसके विरुद्ध निगरानी चलने योग्य है। जैसा कि इस बिनदु पर निगरानीकर्ता / आवेदक के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत राजेन्द्र कुमार सीताराम पाण्डेय वगैरह वि० उत्तम बगैरह (1999) 3 एस.सी.सी. 134 से स्पष्ट हाता है। इस प्रकार संज्ञान लेने के आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रचलन योग्य होनी पाई जाती है।

07. निगरानीकर्ता अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया है कि आपराधिक विधान के अंतर्गत कोई आपराधिक प्रकरण किसी व्यक्ति के विरूद्ध व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाता है और यदि किसी व्यक्ति के साथ साथ किसी कम्पनी के द्वारा अपराध घटित किया जाता है तो कम्पनी को अभियोगपत्र में जोड़ा जा सकता है, जबिक वर्तमान परिवादपत्र / अभियोगपत्र में किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अभियुक्त नहीं बनाया गया है। कम्पनी के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो इसके प्रावधान कम्पनी विधि के अंतर्गत है और उसके अधीन ही कोई उपचार परिवादी प्राप्त कर सकता था। इस परिप्रेक्ष्य में मात्र कम्पनी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण चलने योग्य नहीं है और इस परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अपराध का संज्ञान लेने बावत् जो आदेश दिया गया है वह त्रुटिपूर्ण है।

08. गैरनिगरानीकर्ता / प्रवितादी अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया कि चैक जिसका कि अनादरण हुआ है कम्पनी की ओर से दिया गया है और कम्पनी की ओर से उसके अधिकारी के हस्ताक्षर चेक पर है। परिवादपत्र में स्पष्ट रूप से कम्पनी प्रोपराइटर को

पक्षकार बनाया गया है और उनके विरूद्ध संज्ञान लिया जाकर तलब किये जाने का आदेश दिया गया है। धारा 141 परकाम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत कम्पनी के विरूद्ध परिवादपत्र चल सकता है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपराध का संज्ञान लेने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। 🔭 🥕

- उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। वर्तमान परिवादपत्र प्रतिवादी कम्पनी की ओर से उसको दिया गया चैक जो कि आरोपी कम्पनी की ओर से दिया गया था उनके अनादरण होने के आधार पर धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत पेश किया गया है, जिसमें कि न्यायालय के द्वारा आरोपी कम्पनी के विरूद्ध दिनांक 11.06.2014 को संज्ञान लेकर के अपराध पंजीबद्ध किया जाकर तलब करने का आदेश दिया गया है। निगरानीकर्ता कम्पनी की ओर से अधिकृत अधिकारी होना बताते हुए पुरूषोत्तमदेव पुत्र ओमप्रकाश शर्मा के द्वारा वर्तमान निगरानी इस आधार पर पेश की गई कि मात्र कम्पनी के विरूद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।
- इस संबंध में धारा 141 एन.आई.एक्ट कम्पनियों के द्वारा धारा 138 एन.आई.एक्ट के अंतर्गत अपराध करने के संबंध में प्रावधान करता है। उक्त धारा के अनुसार धारा 138 एन. आई एक्ट के अंतर्गत अपराध किया जाता है तो अपराध कारित करने के समय प्रत्येक व्यक्ति जो कम्पनी के कारबार के प्रभार में है और इसके संचालन के लिए जिम्मेदार है को दोषी होना माना जाएगा। इसके अलावा कम्पनी को भी दोषी माना जाएगा और तद्नुसार दंडित किया जा सकेगा। इस प्रकार कम्पनियों के द्वारा धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध के संबंध में कम्पनी एवं अपराध कारित करते समय कम्पनी के कारबार व संचालन करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या व्यक्तियों दोनों का अभियोजन किया जा सकेगा एवं संज्ञान लिया जा सकता है।
- निश्चित रूप से जबिक कम्पनी के द्वारा धारा 138 एन.आई.एक्ट का अपराध करने के संबंध में कम्पनी व कम्पनी के कारबार के संचालन प्रभार और जिम्मेदार होने वाले दोनों का अभियोजन किया जा सकता है, दोनों का संयुक्त तौर पर अभियोजन अथवा मात्र एक का अभियोजन किया जाना वर्तमान धारा में अनुज्ञेय है।
- उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि विचारण न्यायालय के द्वारा मैसर्स विगासा इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. द्वारा प्रोपराइटर के विरुद्ध वर्तमान परिवादपत्र पेश किया गया है। धारा 141 एन.आई.एक्ट के तहत कम्पनी से अभिप्राय कोई निगमित निकाय, और इसमें सम्मलित कोई भी फर्म अथवा व्यक्तियों का कोई भी संगम हो। निश्चित तौर से धारा 141 एन.आई.एक्ट के प्रावधानों के तहत कम्पनी के विरुद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है।
- पुनिरीक्षणकर्ता के द्वारा अभियोगपत्र की सुनवाई के क्षेत्राधिकार और परिवादपत्र 13.

में इस बात का उल्लेख न करना कि चैक कहाँ अनादिरत हुआ है के आधार पर जबिक परिवादी के द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसकी मालनपुर इकाई से माल सप्लाई की गई थी और इस हेतु मालनपुर में ही चैक दिए गए थे। ऐसी दशा में वाद कारण एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में लिए गए आधार के परिप्रेक्ष्य में संज्ञान लेने का आदेश इस स्टेज पर मान्य करते हुए उसे आपस्त नहीं किया जा सकता है।

14. तद्नुसार विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी कम्पनी के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लेने के संबंध में किसी प्रकार की वैधानिक अथवा तथ्यात्मक भूल की जानी नहीं पाई जाती है, बल्कि वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप आदेष पारित करते हुए संज्ञान लिया जाने का आदेश दिया गया है। विचारण न्यायालय का आदेष अवैध, अशुद्ध, औचित्यहीन नहीं कहा जा सकता है। तद्नुसार विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी कम्पनी के विरुद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत लिया गया संज्ञान दिनांक 11.06.2014 में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। उक्त आदेश स्थिर रखा जाता है, निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

15. अादेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय के बुलाए गए सभी अभिलेख वापिस हो।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

(डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)